राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) (5)/छात्र/बी.एड./सान्याअवि/14–15/66328 जयपुर, दिनांक 30/12/2014

–: आदेश :–

शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड. करने वाले विद्यार्थियों की काउन्सलिंग के समय जमा होने वाली फीस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के बैंक खाते में अन्तरित करने हेतु सलाह दी गई है, परन्तु राजस्थान ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल पर एक विद्यार्थी की छात्रवृति राशि उसके व्यक्तिगत खाते में ही स्थानान्तरित की जा सकती है।

छात्रवृति नियमों के तहत विद्यार्थियों को नॉन रीफन्डेबल फीस का ही पुनर्भरण किया जाता है। बी.एड. के विद्यार्थियों के संबंध में उक्त व्यवस्था यदि लागू होती है तो अन्य काउन्सलिंग कोर्स यथा : B-Tech, BSTC., IIT, IIM, AIEEE, AIPMT, RPMT इत्यादि में भी काउन्सलिंग के समय दी जाने वाली फीस जमा नहीं कराने की मांग उत्पन्न होना स्वाभाविक है। काउन्सलिंग के समय संबंधित विद्यार्थी को फीस की रसीद नहीं प्राप्त होगी।

विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजनाएं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप संबंधित पात्र विद्यार्थी के बैंक खाते के माध्यम से वर्तमान में ऑनलाईन सॉफ्टवेयर Rajpms.nic.in के आधार पर नॉन रिफण्डेबल फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजनाओं में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप संबंधित पात्र विद्यार्थी को वर्तमान में ऑनलाईन सॉफ्टवेयर Rajpms.nic.in के आधार पर नॉन रिफण्डेबल फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ते की देय छात्रवृति राशि आई.एफ.एम.एस. (Integrated Finance Management System) के माध्यम से विद्यार्थियों के बचत खातें में हस्तान्तरित की जाती है। किसी भी संस्था को देय छात्रवृति राशि हस्तान्तरित नहीं की जाती।

अतः स्पष्ट किया जाता है, कि बी.एड. करने वाले छात्रवृति के पात्र समस्त विद्यार्थियों को निर्धारित कार्यक्रमानुसार विभागीय छात्रवृति ऑनलाईन पोर्टल rajpms.nic.in पर नियमानुसार आवेदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करने पर ही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति राशि देय होगी। अतः समस्त जिलाधिकारी सान्याअवि को निर्देशित किया जाता है दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2015 तक बी. एड. के उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के पात्र विद्यार्थियों को ऑन लाईन आवेदन करने हेतु संबंधित शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करे।

(सुदर्शन सेठी) 26.12.2014
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9 (4) (5)/छात्र/बी.एड./सान्याअवि/14–15/66929-67029 जयपुर, दिनांक 30/12/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
4. प्राचार्य...............................महाविद्यालय...............................
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त)...............
6. संयुक्त निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित विभागों/अधिकारियों को ई–मेल करवाने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

26.12.2014
प्रमुख शासन सचिव